कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-MailID:nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax 0135 2767611

पत्रांक 544 /12–1 : देहरादूनः दिनांक 29 अगस्त, 2024,

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

वन अनुभाग–03

विषयः–जनपद–बागेश्वर के अन्तर्गत काण्डा मन्तोली का विस्तार तल्ला तिपोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.413 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–FP/ UK/ ROAD/35046/2018)

सन्दर्भ :–शासन द्वारा ऑनलाईन लगायी गयी आपत्ति दिनांक 04.07.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि आपके द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोटल पर प्रश्नगत प्रकरण की हार्ड प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु आपत्ति निर्गत की गयी है। उक्त के कम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–1316 / 12–1 दिनांक–06.12.2023 (प्रति संलग्न) के द्वारा सूचना की हार्ड प्रति आपको प्रेषित की गयी है, जिसकी प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु पुनः संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्याः– 544 /12–1 :दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

01(02)/2024

92/X-3/24

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

संख्याः—1316 /12—1 देहरादूनः दिनांकः 6 जनवरी 2024 ~~दिसम्बर, 2023~~

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
वन अनुभाग—03।

विषयः— जनपद—बागेश्वर के अन्तर्गत काण्डा मन्तोली को विलार तल्ला तिपोला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.441 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UK/ROAD/35046/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 2.441 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

प्रश्नगत प्रस्ताव पर प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर/वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के द्वारा संस्तुति दी गयी है। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र पर संस्तुति कर इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

SO-3

(लोकेश सिंह)
उप सचिव
उत्तराखण्ड शासन

DS(F)

104/AS(F)/2024
11.01.2024

(कहकशां नसीम)
अपर सचिव
वन एवं पर्यावरण

भवदीय,
06/01
(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या 1316 /12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्याल, 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3. मुख्य वन संरक्षक/कुमाऊँ नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया समय—समय पर प्रकरण की समीक्षा करने हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त कर लें।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद—बागेश्वर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

AS(K) Forest

242
9/1

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

05/1/24
(अमित कुमार भारती)
निजी सचिव—प्रमुख सचिव

श्री मिश्रा MR

Scanned with OKEN Scanner